(Authoritative English Text of this Department Notification No. TSM-F(5) 11/2022 dated 07.06.2024 required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

AD / JD
PD / PO
ATDO / Supdt.
Plg. Asstt.

11/06/24

Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation
*****

1839
13/6/2024

No. TSM- F (5) 11/2022 Dated: Shimla-2 07.06.2024

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor,Himachal Pradesh is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under, to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed land acquisition for construction of Tourist Complex at Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.

The proposed land at Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur measuring 97-66 Sq. Mtrs. (Private land) comprising of Khata No. 3, Khatauni No. 7, Khasra No. 2016 and 2017 is to be acquired by the Government of Himachal Pradesh for the construction of Tourist Complex, Village Seri, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.

The selected site is imperative by virtue of its location near Shimla – Hamirpur- Matour Highway and tourist inflow in the area. The famous Shaktipeeths i.e. Mata Jawalaji and Baba Balaknath ji are situated in the vicinity of proposed site, therefore, this area witnesses tourist inflow throughout the year. This area has also seen tourist influx in recent past due to opening of river rafting activities at Nadaun. Therefore, the development of Tourist Complex at the proposed site is the need of the hour.

It is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Impact Assessment will render this exercise as null and void. The Social Impact Assessment will be carried out within a period of 6 months from its commencement. The Social Impact Assessment Unit shall hold consultation, survey and public hearings. The Social Impact Assessment Unit shall also ensure that adequate representation be given to the representatives of Panchayats and Gram Sabhas at the stage of carrying out the Social Impact Assessment Study.

While undertaking a Social Impact Assessment Study the Social Impact Assessment Unit shall amongst other things, take into consideration the impact that the project is likely to have on various components such as livelihood of affected families, public and community properties, assets and infrastructure particularly roads, public transport, drainage, sanitation, source of drinking water, source of water for cattle, community ponds, grazing land, plantation, public utilities such as post office, fair price shops, food storage godowns, electricity supply, health care facilities, schools and educational or training facilities, anganwadi, children parks, place of worship, land of traditional tribal institutions and burial and cremation grounds. The Social Impact Assessment Unit shall amongst other matters consider all the aspects as mentioned under Section 4 (4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and rules framed thereunder.

The Social Impact Assessment Unit after completion of consultation, survey and public hearing shall prepare a Social Impact Assessment Study Report in Form- III under Sub-Rule (3) of Rule 3 and a Social Impact Management. Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact for a specific component under Sub- Rule (4) of Rule 3.

The land is proposed to be acquired in favour of the Department of Tourism and Civil Aviation, Government of Himachal Pradesh under Section 2 (1) (b) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 therefore, consent provision as laid down under section 2 (2) of the Act, 2013 shall not apply for acquiring land for the State Government.

The Himachal Pradesh Revenue Department vide Notification No. Rev. - B (I) A (3) - 3/2014- II dated 27.11.2015 has already constituted the Social Impact Assessment Unit for the information of the general public in the following manner :-

Sr. No.	Name & Address		Contact No.
1	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla	Chairperson	0177-2731777
2	The In charge, State Institute of Rural Development, HIPA Shimla	Member	
3	Head of Department of Sociology and Social Works, HP University Shimla	Member; and	
4	Chief Scientific Officer, Department of Environment Science and Technology	Member	

By Order

Devesh Kumar
Pr. Secy. (Tourism & CA) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endts. No. TSM- F (5) 11/2022 Dated Shiml-171002 07.06.2024

Copy for information and necessary action is forwarded to:

1. The Addl. Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh
2. The Divisional Commissioner, Mandi, Himachal Pradesh.
3. The Director, Tourism & Civil Aviation, H.P. Shimla-9 with directions to upload the aforesaid notification on the official website of the Department.
4. The Deputy Commissioner, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
5. The Director, Information and Public Relations, Shimla HP with the request to publish the notification in two daily newspapers.

6. The Chairman, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawans, Shimla.
7. All the members of the Social Impact Assessment Unit.
8. The Controller, Printing and Stationary Department Himachal Pradesh, Shimla-5.
9. The Sub- Divisional Magistrate, Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.
10. The Land Acquisition Collector- cum- SDM, Nadaun, Distt. Hamirpur with the request to advertise the Notification in the suitable places of the concerned area for publicity amongst the public for their information.
11. The Tehsildar Nadaun, Distt. Hamirpur. H.P.
12. Guard file

07-06-2024

(Satpal Dhiman)
Addl. Secy (Tourism & CA) to the
Govt. of Himachal Pradesh
Phone 0177-2880662

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उडड्यन विभाग

संख्या टी0एस0एम0–एफ (5)–11/2022 तारीखः शिमला–2 07.06.2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के प्रयोजन सामाजिक समाघात निर्धारण के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं।

गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में खाता नंबर–3, खतौनी नंबर 7, खसरा नंबर 2016 और 2017 से समाविष्ट 97–66 वर्गमीटर प्रस्तावित भूमि (प्राइवेट भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन परिसर गांव सेरी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के सन्निर्माण के लिए अर्जित की जानी है।

चयनित स्थल शिमला– हमीरपुर –मटौर राजमार्ग के निकट स्थित होने और क्षेत्र में पर्यटकों की आमद के कारण अनिवार्य है। प्रसिद्व शक्तिपीठ अर्थात् माता ज्वालाजी और बाबा बालकनाथ जी प्रस्तावित स्थल के आसपास स्थित है, अतः इस क्षेत्र में वर्ष भर पर्यटकों का आना–जाना (आवागमन) लगा रहता है। नादौन में रिवर–राफ्टिंग क्रियाकलाप के प्रारंभ होन के कारण हाल ही में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आमद देखी गई है। अतः प्रस्तावित स्थल पर पर्यटक–परिसर का विकास समय की मांग है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक समाघात के निर्धारण के दौरान प्रताड़ना या धमकी का कोई प्रयास इस क्रिया को अकृत (वातिल) और शून्य कर देगा। सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाइयाँ करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करते समय पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करते समय सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना से विभिन्न घटकों जैसे प्रभावित कुटुंबो की आजिविका, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल–निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोत, पशुओं के

लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बागान, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय देखभाल सुविधाओं, स्कूल (विद्यालय) और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाओं, आंगनबाड़ी, बाल वाटिकाओं, पूजा–स्थलों, पराम्परागत जनजातीय संस्थाओं और दफन और दाह संस्कार स्थल के लिए भूमि पर होने वाले सम्भाव्य समाघात का विचार करेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, अन्य मामलों के साथ–साथ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समस्त पहलुओं पर विचार करेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, परामर्श, सर्वेक्षण और जन– सुनवाई को पूर्ण होने के पश्चात् नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन प्ररूप–2 में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और किसी विनिर्दिष्ट घटक हेतु समाघात का समाधान करने किए जाने के लिए अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए नियम 3 के उप–नियम (4) में सामाजिक समाघात प्रबधंन योजना तैयार करेगी।

भूमि का अर्जन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(1)(b) के अधीन प्रस्तावित है, इसलिए सहमती सम्बन्धी प्रावधान जैसे कि अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) में कहा है, इस प्रकार के सरकारी विभाग पर लागू नहीं होता है।

हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्याः रैब–बी–ए (3)/2014–II, तारीख 27/11/2015 द्वारा, जनसाधारण की सूचना के लिए, पहले ही राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई का निम्नरीति में गठन कर लिया हैः–

क्र0 सं0	नाम व पता	पदनाम	संपर्क न0
1	निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन, शिमला	अध्यक्ष	0177–2731777
2	प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला	सदस्य	
3	विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	सदस्य; और	
4	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला	सदस्य	

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (पर्यटन एवं ना0 उ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः टी0एस0एम0–एफ (5) 11/2022 तारीख शिमला–2 07.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. मण्डलायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 तथा अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड करें।
4. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंर्पक विभाग को उक्त के सदंर्भ में अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।
6. अध्यक्ष एवं सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन, शिमला।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के समस्त नामित सदस्य।
8. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग, हि0 प्र0 शिमला–5।
9. उप– मण्डलाधिकारी नादौन, जिला हमीरपुर हि0 प्र0।
10. भू– अर्जन समाहर्ता–सह– उपमण्डलाधिकारी नादौन, जिला हमीरपुर से अनुरोध किया जाता कि उक्त अधिसूचना को जनता के बीच उनकी जानकारी के लिए प्रचार – प्रसार हेतु संबधित स्थानों पर अधिसूचना जारी करें।
11. तहसीलदार नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
12. रक्षक नस्ति।

07-06-2024
(सतपाल धीमान)
अतिरिक्त सचिव (पर्यटन एवं ना0 उ0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

****